

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

ज्ञापन

Phone No. - 07752 - 241248, 241220 E-mail : de-highcourt@cg.gov.in

क्र./1039/डी.ई.
तीन-1-4/2000

बिलासपुर, दिनांक 23/01/2021

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बिलासपुर/रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/धमतरी/
जशपुर/रायगढ़/जॉजगीर-चांपा/कबीरधाम (कवर्धा)/
बस्तर स्थान जगदलपुर/दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा/कोरिया/
महासमुंद/उत्तर बस्तर कांकेर/सरगुजा(अंबिकापुर)/
बालोद/बेमेतरा/सूरजपुर/बलौदाबाजार/कोंडागांव/
मुंगेली/बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)।

विषय – **शपथ आयुक्त की नियुक्ति अथवा शपथ आयुक्त के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण संबंधी आवेदन पत्रों को अग्रेषित किए जाने बाबत्।**

- संदर्भ – 1. उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक ए/541/तीन-1-27/75 दिनांक 22.01.1985।
2. रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 10/आर.जी./2011 दिनांक 02/01/2012।
3. रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 2203/आर.जी./2011 दिनांक 27/03/2012।

.....

उपरोक्त विषय एवं संदर्भानुसार, माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रायः विभिन्न जिला स्थापनाओं से अधिवक्ताओं की शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति बाबत् अथवा शपथ आयुक्त के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण बाबत् आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। इन आवेदनों में अक्सर यह देखने में आता है कि विभिन्न कॉलमों/जानकारियों की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं की जाती है तथा जिला न्यायालय के कार्यालय द्वारा भरे जाने वाले कॉलम भी अपूर्ण रहते हैं। साथ ही विलंब क्षमा किए जाने के आधार या शपथ आयुक्त के विरुद्ध शिकायत पर संबंधित जिला न्यायाधीश की टिप्पणियां और नवीनीकरण के बाबत् अनुशंसा भी स्पष्ट रूप से नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि इस प्रकार के आवेदन पत्र जिला न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा अत्यधिक विलंब से भी अग्रेषित किये जाते हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में शपथ आयुक्त की नियुक्ति अथवा प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण बाबत् आवेदनों को माननीय उच्च न्यायालय की ओर अग्रेषित करते समय निम्न बिंदुओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे –

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में हो तथा आवेदनपत्र अथवा अग्रेषण नोट में सारी आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण और सुस्पष्ट हों। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र/अर्हता प्रमाणपत्र संलग्न हो।

